अध्याय-II

योजना

2.1 कार्ययोजना तैयार करना

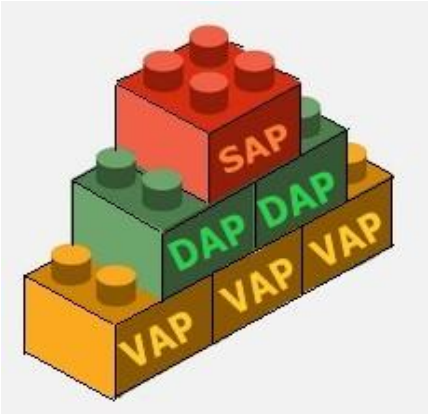

किसी भी कार्यक्रम के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु योजना बनाना अत्यंत आवश्यक है। जल जीवन मिशन दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 3.5 एवं 3.6 में वर्णित रणनीति के अनुसार, प्रत्येक जिले की सभी ग्राम पंचायतों द्वारा आवश्यकता-आधारित ग्राम कार्य योजनायें तैयार की जानी थीं। जिले के सभी गाँवों की ग्राम कार्य योजना को जिला जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा समेकित कर जिला कार्य योजना तैयार की जानी थी तथा जिला कार्य योजना के आधार पर राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा राज्य कार्य योजना तैयार कर योजना को अंतिम रूप दिया जाना था। ग्राम, जिला एवं राज्य स्तर पर योजना निर्माण की रणनीति **चार्ट 2.1** में दर्शाई गई है।

चार्ट 2.1: योजना के लिए रणनीति

ग्राम, जिला एवं राज्य स्तर पर योजना निर्माण में पाई गई कमियों की चर्चा निम्नलिखित कंडिकाओं में की गई है।

2.1.1 ग्राम कार्य योजना

जल जीवन मिशन दिशानिर्देशों में प्रावधान है कि ग्राम कार्य योजना को ग्रामीण समुदाय की महसूस की गई जरूरतों पर आधारित होना चाहिए। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग गाँवो के लिए सर्वोतम उपयुक्त योजना के चयन के लिए ग्राम पंचायतो को कम से कम लागत वाली जल आपूर्ति प्रणालियों के साथ परियोजनाओं के तकनीकी-आर्थिक एवं सामाजिक-आर्थिक विश्लेषण के आधार पर तैयार किए गए तीन विकल्प प्रदान करेगा। प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु ग्राम की सभी जलापूर्ति एवं उससे संबंधित कार्य, ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित ग्राम कार्य योजना से लिए जायेंगे। ग्राम कार्य योजना के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन हेतु संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग एवं लक्षित परिणाम सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन सहित विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सभी निधियों का समन्वय किया जाना था।

24 ग्राम कार्य योजनाओं के नमूना जांच के दौरान लेखापरीक्षा में निम्नलिखित तथ्य पाये गये:

- **समुदाय की भागीदारी का अभाव:** जल जीवन मिशन दिशानिर्देश (2019) के अनुसार, ग्राम कार्य योजना को ग्राम सभा में 80 प्रतिशत गाँववासियों की उपस्थिति एवं सहमति से अनुमोदित किया जाना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 24 में से 22 ग्राम कार्य योजनायें ग्राम सभा द्वारा केवल 1 से 28 प्रतिशत आबादी/ग्रामीण समुदाय की उपस्थिति में ही अनुमोदित किए गए थे, जबकि दो मामलों में उपस्थिति 50 प्रतिशत से अधिक थी।
- **तकनीकी-आर्थिक विश्लेषण पर आधारित न्यूनतम लागत विकल्प का प्रदान न किया जाना:** ग्राम के भीतर जलापूर्ति प्रणाली का निर्णय लेते समय, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा समुदाय की भागीदारी शामिल करते हुए पूर्ण तकनीकी -आर्थिक विश्लेषण के साथ न्यूनतम लागत वाली संभावित जलापूर्ति प्रणालियों के तीन विकल्प ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने चाहिए थे एवं प्रणाली का चयन करते समय ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को शामिल किया जाना था, संचालन एवं अनुरक्षण की कम लागत पर जोर दिया जाना था तथा योजना को संचालित करने एवं बनाए रखने के लिए स्थानीय समुदाय की क्षमता पर विशेष बल दिया जाना था। लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि 24 ग्राम कार्य योजनाओं में से 12 ग्राम कार्य योजनाओं में ग्राम के लिए केवल एक ही योजना का उल्लेख किया गया था, जबकि पूर्ण तकनीकी-आर्थिक विश्लेषण सहित न्यूनतम लागत वाली संभावित जलापूर्ति योजनाओं के तीन विकल्प प्रस्तुत नहीं किए गए थे। इससे ग्राम पंचायतों की ग्राम के लिए सबसे उपयुक्त योजना के चयन हेतु उचित निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हुई।
- **अपूर्ण विवरण/आंकड़ा:** ग्राम में मौजूदा जलापूर्ति प्रणालियों, स्रोत सुदृढ़ीकरण, जल उपलब्धता की सामान्य प्रवृति, प्रमुख जलजनित रोग आदि से संबंधित जानकारी के ऐतिहासिक आंकड़े 24 ग्राम कार्य योजनाओं में से 10 ग्राम कार्य योजनाओं में सम्मिलित नहीं पाये गये।
- **जल बजट का न तैयार होना:** ग्राम कार्य योजना के अंतर्गत तैयार किए गए जल बजट को स्थानीय समुदाय के बीच प्रसारित किया जाना था, ताकि उन्हें सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली

अपनाकर कृषि जल-उपयोग दक्षता में सुधार करने तथा/अथवा कृषि-जलवायु क्षेत्र के अनुरूप फसल चक्र अपनाने के लिए संवेदनशील किया जा सके।

- **निधि के स्रोतः** गाँव के लिए जलापूर्ति योजना को स्वीकृत करते समय 24 ग्राम कार्य योजनाओ में से 13 में, निधि के स्रोत जैसे कि भारत सरकार, राज्य सरकार का हिस्सा एवं समुदायिक अंशदान, साथ ही अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण पर चर्चा नहीं की गई थी। इस प्रकार, पूंजी एवं संचालन एवं अनुरक्षण लागत में अंशदान करने के लिए लोगों की इच्छा एवं उनकी वहन क्षमता सुनिश्चित नहीं की जा सकी ।
- **कार्यान्वयन सहायता एजेंसियाँ की गैर-भागीदारी:** नमूना जांच की गई 24 गावों में सभी 24 ग्राम कार्य योजनाओं को अक्टूबर से दिसंबर 2020 के दौरान ग्राम पंचायत/ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा स्वीकृत किया गया था। जबकि ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम कार्य योजना की स्वीकृति के बाद कार्यान्वयन सहायक एजेंसियाँ को जिला जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा सितंबर 2021 से मार्च 2023 के मध्य नियुक्त किया गया था। कार्यान्वयन सहायता एजेंसियाँ को ग्राम कार्य योजना तैयार करने मे ग्राम पंचायतों की सहायता करने एवं ग्रामीण परिवारों से पूंजीगत लागत तथा पाइपलाइन जलापूर्ति योजना के संचालन एवं अनुरक्षण में नियमित अंशदान हेतु सहमति प्राप्त करने के लिए नियुक्त किया जाना था। कार्यान्वयन सहायता एजेंसियाँ की देरी से नियुक्ति यह दर्शाता है कि कार्यान्वयन सहायता एजेंसियाँ द्वारा योजना स्तर पर ग्राम पंचायतो की अपेक्षित सहायता एवं समुदायिक भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जा सकी।
- **ग्राम कार्य योजना आकड़ों में विसंगतियाँ:** लेखापरीक्षा में पाया गया कि ग्राम कार्य योजना में एकत्रित आंकड़े योजनाओं की स्वीकृति के लिए उपयोग किए गए आकड़ों से मेल नहीं खा रहे थे। जांच की गई योजनाओं में, ग्राम कार्य योजना एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार, जनसंख्या एवं प्रदान किए जाने वाले कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन की संख्या में अंतर पाया गया, जो यह दर्शाता है कि ग्राम कार्य योजना बिना आधारभूत सर्वेक्षण के तैयार किए गए थे, जो ग्राम स्तर की योजना की पूरी प्रक्रिया को कमज़ोर करते है।

इस प्रकार, ग्राम कार्य योजना तैयार करने में उपरोक्त विसंगतियों के कारण जलापूर्ति प्रणाली के साथ-साथ पेयजल स्रोतों का प्रबंधन, संचालन एवं अनुरक्षण करने तथा जलापूर्ति प्रणाली से संबंधित सभी निर्णयों में 'स्वामित्व की भावना' के साथ समुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका।

2.1.2 जिला कार्य योजना

जल जीवन मिशन दिशानिर्देशों के अनुसार, जिले के सभी गाँवों में पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला जल और स्वच्छता मिशन द्वारा सभी ग्राम कार्य योजनाओं एवं अतिरिक्त कार्यों जैसे कि थोक जल हस्तांतरण, वितरण नेटवर्क, प्रयोगशालाएँ आदि को समेकित कर जिसमें रणनीतिक वार्षिक एवं त्रैमासिक योजनायें भी शामिल है, जिला कार्ययोजना तैयार की जानी चाहिए एवं इसे राज्य कार्ययोजना में समेकित करने के लिए राज्य जल और स्वच्छता मिशन को

भेजा जाना चाहिए था। जिला कार्ययोजना में कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन कवरेज के लिए चिन्हित गतिविधियों के वित्तीय विवरण एवं समयसीमा भी सम्मिलित की जानी चाहिए।

- **बॉटम-अप योजना बनाये जाने का अभाव:** लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच किए गए छह जिलों की जिला कार्य योजनायें अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 के मध्य तैयार एवं अनुमोदित की गईं। नमूना जांच किए गए छह जिलों में से दो जिलों (कोंडागांव एवं कोरबा) में ग्राम कार्य योजनायें तैयार होने से पहले ही जिला कार्य योजनायें तैयार कर ली गयी थीं, जो बॉटम-अप योजना बनाये जाने की कमी को दर्शाता है।
- **सहायक गतिविधियों के लिए योजना का अभावः** दिशानिर्देशों में कहा गया है कि सहायक गतिविधियाँ जैसे सूचना, शिक्षा एवं संचार, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण आवश्यकता-आधारित होनी चाहिए तथा जिला कार्य योजना में इसका विस्तार से चर्चा की जानी चाहिए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच किए गए जिलों के जिला कार्य योजना में सहायक गतिविधियों जैसे सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियाँ, प्रशिक्षण, तृतीय पक्ष निरीक्षण एवं कार्यान्वयन सहायता एजेंसियों की आवश्यकता एवं नियुक्ति की योजनाओं पर चर्चा नहीं की गई थी।
- **जल गुणवत्ता परीक्षण सुविधाओं के लिए योजना का अभावः** नमूना जांच किए गए किसी भी जिले के जिला कार्य योजना में जिला एवं उप-संभाग स्तर की जल गुणवत्ता परीक्षण हेतु राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) से प्रयोगशालाओं की मान्यता प्राप्त किये जाने की योजना को भी सम्मिलित नहीं किया गया था।
- **स्रोत स्थिरता एवं अभिसरण:** दिशानिर्देशों के अनुसार, ग्राम कार्य योजना से उत्पन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिला जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा अभिसरण के स्रोतों की पहचान की जानी चाहिए एवं जिला कार्य योजना में सम्मिलित किया जाना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि जिला कार्य योजना तैयार करते समय अन्य योजनाओं के साथ निधियों के अभिसरण, ग्रेवाटर प्रबंधन, जल उपचार एवं पुनः उपयोग के उपायों तथा स्रोत स्थिरता उपाय आदि की पहचान नहीं की गई थी।

इस प्रकार, नमूना जांच किए गए जिलों की जिला कार्य योजना को बॉटम-अप दृष्टिकोण, सहायक गतिविधियों की योजना, जल गुणवत्ता परीक्षण सुविधाओं, अभिसरण एवं स्रोत स्थिरता उपायों का पालन किए बिना तैयार किया गया था।

शासन ने उत्तर दिया (मई 2025) कि ग्रेवाटर प्रबंधन का कार्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के माध्यम से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जा रहा था एवं इसके लिए वार्षिक कार्य योजना में प्रावधान किए गए हैं।

शासन द्वारा दिया गया उत्तर अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के अनुरूप नहीं था, क्योंकि वार्षिक कार्य योजना में अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण की कोई योजना सम्मिलित नहीं थी।

2.1.3 राज्य कार्य योजना

जल जीवन मिशन दिशानिर्देशों (2019) के अनुच्छेद 3.6.1 के अनुसार, राज्य जल और स्वच्छता मिशन को जिला कार्य योजना को समेकित करके राज्य कार्य योजना (राष्ट्रीय जल जीवन मिशन अनुमोदन हेतु) तैयार करनी थी। राज्य कार्य योजना में 2024 तक घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराने तथा दीर्घकालिक राज्य जल सुरक्षा सुनिश्चित करने की रूपरेखा तैयार करने की आवश्यकता है। राज्य की वार्षिक कार्य योजना राज्य कार्य योजना से उत्पन्न होनी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य जल और स्वच्छता मिशन द्वारा योजना अवधि (2019-2024) के लिए जल जीवन मिशन परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी। यद्यपि, राज्य जल और स्वच्छता मिशन ने वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक के लिए वार्षिक कार्य योजनायें तैयार की थीं। वार्षिक कार्य योजनाओ में सतही एवं भूजल उपलब्धता के आकलन एवं क्षेत्रीय जल स्थानांतरण योजना के आधार पर जल सुरक्षा योजना तैयार नहीं किए जाने के कारण जल सुरक्षा के व्यापक पहलुओं को संबोधित नहीं किया गया था जैसा कि जल जीवन मिशन परिचालन दिशानिर्देशों में उल्लेखित था।

इस चूक के परिणामस्वरूप सतही एवं भूमिगत जल की उपलब्धता, क्षेत्रीय जल हस्तांतरण, जल के घरेलू, कृषि एवं औद्योगिक आदि उपयोगों का व्यापक मूल्यांकन नहीं हुआ। इस प्रकार, जल जीवन मिशन के अंतर्गत विभिन्न जल आपूर्ति योजनाओं को दीर्घकालिक, जल सुरक्षा का आकलन किए बिना शुरू की गई।

निर्गम बैठक (मई 2025) में सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने बताया कि जल सुरक्षा योजना के लिए आवश्यक आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण राज्य कार्य योजना को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका।

2.2 प्राथमिकता का आबंटन न किया जाना

2.2.1 रेट्रोफ़िटिंग कार्य को प्राथमिकता न देना

जल जीवन मिशन परिचालन दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 3.6.1 में कहा गया है कि मौजूदा अधोसंरचना को जल जीवन मिशन की आवश्यकतानुसार बनाये जाने के कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए एवं इसे पहले दो वित्तीय वर्षों में मार्च 2021 तक पूरा किया जाना चाहिए था, जिसे बाद में बढ़ाकर मार्च 2022 कर दिया गया था।

वार्षिक कार्य योजना 2020-21 को स्वीकृति देते हुए, भारत सरकार ने सुझाव दिया था कि राज्य की 25,681 उपलब्ध योजनायें जिसमें जलापूर्ति 40-55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन के स्तर पर थीं, उन्हें रेट्रोफ़िटिंग के लिए लिया जा सकता है जिससे लगभग 18.71 लाख परिवारों को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य न्यूनतम प्रयासों से शीघ्र प्राप्त किया जा सकेगा।

एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली के प्रतिवेदन के अनुसार, जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2019-20 से 2022-23 के दौरान 12.25 लाख कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के साथ 4,492 रेट्रोफिटिंग योजनाओं की स्वीकति प्रदान की गई थी। इनमें से बढ़ी हुई लक्ष्य तिथि

मार्च 2022 तक 8,875 कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के साथ केवल 48 रेट्रोफिटिंग योजनायें पूर्ण की जा सकी थी एवं मार्च 2024 तक 15,532 कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के साथ केवल 75 रेट्रोफिटिंग योजनायें पूरी हुई थी। छह जिलों में नमूना जांच के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि रेट्रोफिटिंग के अंतर्गत प्रारम्भ की गई 781 योजनाओं मे से मार्च 2024 तक 758 (97 प्रतिशत) योजनायें अधूरी रही।

लेखापरीक्षा द्वारा इस संबंध में इंगित करने पर शासन ने जवाब दिया (मई 2025) कि योजना के अनुसार, प्रगतिरत कार्यों को यथाशीघ्र पूरा करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

2.2.2 आकांक्षी जिलों में कवरेज को प्राथमिकता न देना

जल जीवन मिशन परिचालन दिशानिर्देशों के कंडिका 3.6 में प्रावधान है कि आकांक्षी जिलों में कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन देने को प्राथमिकता दिया जाकर मार्च 2021 तक पूर्ण कर लिया जाना था जिसे भारत सरकार द्वारा मार्च 2022 तक बढ़ा दिया था। छत्तीसगढ़ में, 10 जिलों की पहचान आकांक्षी जिलों के तौर पर की गई थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना 2020-21 के अनुसार, 10 आकांक्षी ज़िलों में 11.60 लाख परिवारों को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किया जाना था। लेकिन, वर्ष 2020-21 के दौरान केवल 4.01 लाख परिवारों को सम्मिलित करने की योजना थी एवं 2020-21 के दौरान केवल 8,427 परिवारों (2.1 प्रतिशत) को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किया गया था। इस तरह, राज्य मिशन द्वारा आकांक्षी ज़िलों के कवरेज को प्राथमिकता नहीं दी गयी थी। मार्च 2024 तक आकांक्षी ज़िलों में कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन की प्रगति की स्थिति **तालिका 2.1** में दर्शाई गई है।

तालिका 2.1: मार्च 2024 तक आकांक्षी जिलों में कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन की प्रगति की स्थिति

क्रम संख्या	जिला	कुल परिवारों की संख्या	एकल ग्राम योजना की संख्या	बहु ग्राम योजना की संख्या	मार्च 2024 तक उपलब्धि	
					कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन	प्रतिशत
1	बस्तर	1,71,717	627	0	1,38,639	81
2	बीजापुर	56,298	573	0	31,558	56
3	दंतेवाड़ा	50,756	291	0	36,653	72
4	कोंडागांव	1,27,110	606	0	99,545	78
5	कोरबा	2,06,953	1,094	1	1,39,307	67
6	महासमुंद	2,40,467	1,359	1	1,95,031	81
7	नारायणपुर	30,909	385	0	21,256	69
8	राजनांदगाँव	1,56,789	757	2	1,38,639	88
9	सुकमा	66,264	537	0	45,533	69
10	कांकेर	1,51,157	1302	0	1,07,530	71
कुल		**12,58,420**	**7,531**	**4**	**9,53,691**	**76**

(स्रोतः एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि मार्च 2024 तक भी कोई भी आकांक्षी जिला पूरी तरह परिपूर्ण नहीं था।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में पाया गया कि बस्तर ज़िले में प्रारम्भ में 255 गांवों के लिए सात बहु ग्राम योजना प्रस्तावित किए गए थे। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार, ज़िले के इन गांवों के लिए सतही जल स्रोत वाले बहु ग्राम योजना अत्यंत आवश्यक थे, क्योंकि क्षेत्र में भू-जल कम होने, सूखा इलाका होने तथा सभी स्थानीय स्रोत सतत नहीं थे। तथापि, बस्तर ज़िले में प्रस्तावित किए गए सात बहु ग्राम योजनाओ में से किसी को भी अंतिम रूप से निष्पादन के लिए नहीं लिया गया, जिससे पता चलता है कि राज्य सरकार ने सबसे अधिक आवश्यकता वाले इलाकों में बहु ग्राम योजना को प्राथमिकता नहीं दी थी। इसके विपरीत, बस्तर ज़िले में कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन का कवरेज बढ़ाने के लिए भू-जल के उपचार के लिए इलेक्ट्रो-क्लोरीनेटर के प्रावधान के बिना ही भू-जल स्रोत वाले 74 गांवों में सोलर अधारित पाइप द्वारा जल आपूर्ति योजना प्रारम्भ किए गए थे।

निर्गम बैठक (मई 2025) के दौरान, सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने उत्तर दिया कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन जमा करने में विलंब के कारण, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन से विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन को मंज़ूरी नहीं मिल सकी थी। उन्होंने बताया कि विभाग दक्षिणी क्षेत्र में राज्य बजट से बहु ग्राम योजना को पूरा करने की योजना बना रहा है।

2.3 अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण के लिए योजना का अभाव

जल जीवन मिशन परिचालन दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 6.3 में दीर्घकालिक पेयजल सुरक्षा के लिए, अन्य केन्द्रीय एवं राज्य योजनाओं के साथ निधि एवं जल संरक्षण की गतिविधियाँ जैसे वर्षा जल संचयन, ग्रेवाटर का प्रबंधन एवं भूजल पुनर्भरण के अभिसरण का प्रावधान है। इसमें आगे यह भी प्रावधान है कि संसाधनों के अभिसरण के माध्यम से वर्षा जल संचयन एवं कृत्रिम पुनर्भरण द्वारा जल की उपलब्धता का आकलन करने हेतु राज्य कार्य योजना तैयार किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य कार्य योजना तैयार न होने के कारण, दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु जल संरक्षण गतिविधियों के अभिसरण की योजना नहीं बनाई जा सकी थी। निधि के अभिसरण हेतु, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा अन्य कार्यक्रमों जैसे महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), सांसद निधि, जिला खनिज निधि, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि, 15 वें वित्त आयोग आदि से केंद्र एवं राज्य निधि जैसे ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लिए उपलब्ध संसाधनों को मिलाकर वित्तीय योजना बनानी थी, लेकिन नमूना जांच किये गए किए गए जिलों में ऐसी कोई वित्तीय योजना नहीं पाई गई थी।

इस प्रकार, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन/जिला जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा अन्य स्रोतों से मिलने वाली निधि एवं गतिविधियों को उचित रूप से अभिसरण नहीं किया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि 15वें वित्त आयोग के बद्ध् अनुदान के मद के अंतर्गत पेयजल, वर्षा जल संचयन तथा जल पुनचक्रण के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 से 2023-24 के दौरान निर्धारित ₹ 1,358 करोड़ की अनुदान को भी जल जीवन मिशन के उद्देश्यों हेतु संसाधनों को समेकित करने के लिए अभिसरण नहीं किया जा सका।

निर्गम बैठक (मई 2025) के दौरान, सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने बताया कि चूंकि ये निधियाँ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पास उपलब्ध हैं, अतः निधि के अभिसरण हेतु

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के साथ समन्वय करने की कोशिश की जा रही है। सचिव के जवाब से यह पुष्टि होता है कि जल जीवन मिशन के साथ दूसरे केन्द्रीय निधियों का अभिसरण अभी तक नहीं हुआ था।

2.4 वार्षिक कार्य योजना के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारण में अंतराल

जल जीवन मिशन में एक परियोजना आधारित दृष्टिकोण की परिकल्पना की गई थी जिसके अंतर्गत वर्ष 2024 तक की अवधि के लिए राज्य कार्य योजना तैयार की जानी थी, जिसमें रणनीतिक योजना, कार्यान्वयन की रूपरेखा, गतिविधियाँ, परिणाम, समय-सीमा, वार्षिक वित्तीय प्रावधान तथा ग्राम कार्य योजना से राज्य कार्य योजना तक बॉटम-अप दृष्टिकोण को सम्मिलित किया जाना था। राज्य ने राज्य कार्य योजना तैयार नहीं किया था अपितु वर्ष 2020-21 से 2023-24 की अवधि के लिए कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के वार्षिक लक्ष्य के साथ वार्षिक कार्ययोजना तैयार किए गए थे। राज्य में वार्षिक कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के लक्ष्य तथा उपलब्धि की स्थिति **तालिका 2.2** में दिखाया गया है।

तालिका 2.2: वार्षिक कार्ययोजना के अनुसार वर्षवार कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन लक्ष्य एवं उपलब्धि

(आंकड़े लाख में)

योजना वर्ष	वार्षिक कार्य योजना का विवरण						योजना वर्ष में उपलब्धि[1]	
	कुल परिवार	वार्षिक कार्य योजना के अनुसार लक्षित कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन					एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली के अनुसार	
		2019-20*	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	संख्या में	प्रतिशत में
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2019-20	43.17	7.86					0.96	12
2020-21	45.48		16.71				0.41	2
2021-22	45.48			22.15			4.44	20
2022-23	48.59				23.58		10.80	46
2023-24	50.08					29.08	17.68	61
वार्षिक कार्य योजनाओं में कुल लक्ष्य							46.23	
मिशन अवधि के दौरान उपलब्धि (31.03.2024)							34.29	
मिशन के प्रारम्भ में उपलब्ध कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन							3.20	
निजी/स्वयं के स्त्रोत से नल कनेक्शन							1.48	
एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार कुल कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन							38.97	

(स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

*2019-20 के लिए वार्षिक कार्ययोजना तैयार नहीं थी, लेकिन भारत सरकार ने लक्ष्य दिए थे।

छत्तीसगढ़ शासन ने मार्च 2024 तक 50 लाख परिवारों के लक्ष्य के विरुद्ध 38.97 लाख कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन (78 प्रतिशत) स्थापित करने का लक्ष्य प्राप्त किया था। वार्षिक कार्य योजना में उल्लेखित वार्षिक लक्ष्यों को पूरे मिशन अवधि (2019-20 से 2023-24) के दौरान प्राप्त नहीं किया जा सका था, जो यह दर्शाता है कि प्रत्येक वर्ष की वास्तविक उपलब्धि की

[1] लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के माध्यम से प्रदान की जाने वाली कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन (निजी कनेक्शनो को छोड़कर)

अनदेखी कर लक्ष्य निर्धारित किये गये थे, जिसके परिणामस्वरूप बाद के वर्षों में लक्ष्यों का संचय होता गया।

इस तरह, योजना में कमी, कार्यान्वयन सहायता एजेंसियाँ की भागीदारी में देरी, स्वीकृत योजनाओं के निष्पादन में विलंब एवं सामुदायिक भागीदारी की कमी की वजह से मार्च 2024 तक पूरा लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया।

इसे इंगित करने पर जाने पर शासन ने कहा (मई 2025) कि बहु ग्राम योजना के लिए जल की उपलब्धता में विलंब, आर.सी.सी. ओवरहेड टैंक के निर्माण के लिए कुशल मानव संसाधन की अनुपलब्धता आदि के कारण कार्य की प्रगति प्रभावित हुई। तथापि, परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

2.5 आंकड़ो में विसंगतियाँ

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जल जीवन मिशन डैशबोर्ड में दिखाई गई योजनाओं एवं कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन की संख्या तथा इससे संबंधित लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा संधारित आंकडो़ में विसंगतियाँ थी। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा की दी गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान कुल 29,262 परियोजनाओं (5,153-रेट्रोफिटिंग, 7,490-सोलर, 16,542-एकल ग्राम योजना एवं 77- बहु ग्राम योजना) की योजना बनाई गई थी, जिनमें से मई 2024 तक 27,580 परियोजनाओं (4,892-रेट्रो, 6,572-सोलर, 16,046- एकल ग्राम योजना एवं 70- बहु ग्राम योजना) को निष्पादन के लिए लिया गया था।

तथापि, एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल पर पीएम-7 प्रतिवेदन में कुल परियोजनाओं की संख्या 29,223 दिखाई गई है एवं बी-15 प्रतिवेदन के अनुसार कुल 32,215 परियोजनाएं (27,653-एकल ग्राम योजना, 4,492-रेट्रो एवं 70 बहु ग्राम योजना) प्रारम्भ की गई थी। इस अंतर का एक कारण यह था कि कुछ एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली प्रतिवेदनों में स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए 2,860 जारी जल आपूर्ति योजनाओं को भिन्न योजनाओ के तौर पर वर्गीकृत किया गया था।

इसप्रकार, विभाग द्वारा संधारित किए गए आंकड़ो एवं एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल पर अपलोड किए गए आकड़ों में अंतर था तथा यह समस्या पोर्टल के अंदर अलग-अलग प्रारूप तक फैली हुई है जिसे योजना के आंकड़ों को सही किये जाने के लिए ठीक करने की आवश्यकता है।